

# बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

(1966 का अधिनियम संख्यांक 32)

[30 नवम्बर, 1966]

बीड़ी और सिगार स्थापनों में के कर्मकारों के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए और उनके काम की परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए और उससे संसक्त विषयों के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य\* के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख<sup>1</sup> को प्रवृत्त होगा जिसे वह राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “वयस्थ” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयु के अट्ठारह वर्ष पूरे कर लिए हैं ;

(ख) “बालक” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयु के चौदह वर्ष पूरे नहीं किए हैं ;

(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का पालन करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकृत कोई भी प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “संविदाकार” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी दिए हुए परिणाम को संविदा-श्रमिकों के माध्यम से कर्म-निष्पादन द्वारा उत्पन्न करने का जिम्मा लेता है, या जो प्राइवेट निवास-गृह में किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए श्रमिक रखता है और इसके अन्तर्गत उपसंविदाकार, अभिकर्ता, मुंशी, ठेकेदार या सट्टेदार आता है ;

(ङ) “संविदा-श्रमिक” से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण-प्रक्रिया में, किसी परिसर में संविदाकार द्वारा या के माध्यम से नियोजक के ज्ञान में या उसके ज्ञान के बिना, रखा गया या नियोजित है ;

(च) “कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन 2[ या गोदाम] में कुशल, अकुशल, शारीरिक या लिपिकीय कोई भी काम करने के लिए सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, चाहे मजदूरी पर चाहे उसके बिना, नियोजित है और इसके अन्तर्गत—

(i) कोई भी वह श्रमिक आता है जिसे नियोजक या संविदाकार द्वारा कच्चा माल इसलिए दिया जाता है कि घर पर उससे बीड़ी या सिगार या दोनों बनाए (जो एतस्मिन्पश्चात् इस अधिनियम में, “गृह-कर्मकार” कहा गया है), तथा

(ii) कोई भी वह व्यक्ति आता है जो नियोजक या संविदाकार 2[या दोनों] द्वारा तो नियोजित नहीं है किन्तु नियोजक या संविदाकार की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम करता है ;

(छ) “नियोजक” से,—

(क) संविदा-श्रमिक के सम्बन्ध में, मुख्य नियोजक अभिप्रेत है, तथा

(ख) अन्य श्रमिकों के सम्बन्ध में, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियन्त्रण है या जिसका किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियन्त्रण में सारवान हित, उसके धन या उधार देने या माल प्रदाय करने के कारण या अन्यथा है और इसके अन्तर्गत कोई भी अन्य ऐसा व्यक्ति आता है जिसको स्थापन के

\* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।

<sup>1</sup> इस अधिनियम की धारा 3 उड़ीसा राज्य में 10-2-1970 से प्रवृत्त होगी—देखिए अधिसूचना सं० II ई/2-1/70, तारीख 9-2-1970.

<sup>2</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।

कार्यकलाप व्यस्त किए गए हैं, चाहे ऐसा अन्य व्यक्ति प्रबंध अभिकर्ता, प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो ;

(ज) “स्थापन” से कोई भी ऐसा स्थान या परिसर, जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं आती हैं, अभिप्रेत है जिसमें या जिसके किसी भाग में बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने से संसक्त कोई विनिर्माण-प्रक्रिया की जा रही हो या मामूली तौर पर की जाती है और इसके अन्तर्गत “औद्योगिक परिसर” आता है ;

<sup>1</sup>[(जज) “गोदाम” से कोई ऐसा भाण्डागार या अन्य स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसका उपयोग—

(i) किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित किसी वस्तु या पदार्थ के ; या

(ii) बीड़ी या सिगार या दोनों के, भण्डारकरण के लिए किया जाता है ;]

(ब) “औद्योगिक परिसर” से कोई भी ऐसा स्थान या परिसर (जो प्राइवेट निवास-गृह न हो), जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं आती हैं, अभिप्रेत है जिसमें या जिसके किसी भाग में बीड़ी या सिगार बनाने से संसक्त कोई उद्योग या विनिर्माण-प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या के बिना की जा रही हो या मामूली तौर पर की जाती हो <sup>1</sup>[और इसके अंतर्गत उससे संलग्न गोदाम है] ;

(ज) “निरीक्षक” से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधीक्षक अभिप्रेत है ;

(ट) “विनिर्माण-प्रक्रिया” से किसी वस्तु या पदार्थ को, बीड़ी या सिगार या दोनों के रूप में उसके उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से बनाने, परिरूपित करने, पैक करने या अन्यथा अभिक्रियाकृत करने के लिए या तदानुषंगिक कोई भी प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) “मुख्य नियोजक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके निमित्त या जिसकी ओर से संविदा-श्रमिक किसी स्थापन में रखा या नियोजित किया जाता है ;

(ढ) “प्राइवेट निवास-गृह” से ऐसा गृह अभिप्रेत है जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने में लगे व्यक्ति रहते हैं ;

(ण) “राज्य सरकार” से, संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(त) “सप्ताह” से शनिवार की मध्य-रात्रि को प्रारम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है ;

(थ) “अल्पवय व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयु के चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं, किन्तु आयु के अठारह वर्ष पूरे नहीं किए हैं ।

**3. औद्योगिक परिसरों का अनुज्ञप्त किया जाना**—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई भी नियोजक किसी भी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में तब के सिवाय न तो उपयोग में लाएगा न उपयोग में लाए जाने देगा जब कि वह इस अधिनियम के अधीन दी गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो, और किसी भी ऐसे परिसर का उपयोग ऐसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किए जाने से अन्यथा नहीं किया जाएगा ।

**4. अनुज्ञप्तियां**—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्थान या परिसर का औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने का आशय रखता हो या उपयोग किया जाने दे, ऐसे परिसर का औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग किया जाने देने के लिए, अनुज्ञप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को, लिखित आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, करेगा ।

(2) उस आवेदन में कर्मचारियों की वह अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट होगी जो उस स्थान या परिसर में दिन के किसी भी समय पर नियोजित किए जाने को प्रस्थापित हों और उसके साथ उस स्थान या परिसर का ऐसी, रीति में तैयार किया हुआ रेखांक होगा, जैसी विहित की जाए ।

(3) यह विनिश्चय करने में कि अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाए या अनुदत्त करने से इन्कार किया जाए, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा—

(क) उस स्थान या परिसर का यथौचित्य, जो बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने को प्रस्थापित है ;

(ख) आवेदक का पूर्व अनुभव ;

(ग) आवेदक के वित्तीय साधन, जिनके अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों से पैदा होने वाली मांगों को पूरा करने की उसको वित्तीय सामर्थ्य आती है ;

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (22-5-1993 से ) अंतःस्थापित ।

(घ) क्या आवेदन स्वयं आवेदक के निमित्त सद्भावपूर्वक किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनामी है ;

(ङ) परिक्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण, लोक साधारण का हित और ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

(4) (क) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति उस वित्तीय वर्ष से परे विधिमान्य न होगी, जिसमें वह अनुदत्त की गई है किन्तु वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष तक उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी कालावधि के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले ऐसी फीसों के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, किया जाएगा और जहां कि ऐसा आवेदन किया गया है, वहां अनुज्ञप्ति का उसकी कालावधि का अवसान हो जाने पर भी चालू रहना तब तक समझा जाएगा जब तक, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति का नवीकरण, या उसके नवीकरण के लिए आवेदन का प्रतिक्षेपण न हो गया हो।

(ग) यह विनिश्चय करने में कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाए या उसका नवीकरण करने से इंकार किया जाए, सक्षम प्राधिकारी धारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों को ध्यान में रखेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का सारतः अनुपालन हो गया है।

(6) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् रद्द या निलम्बित कर सकेगा, यदि उसको यह प्रतीत हो कि ऐसी अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है या कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है या अनुपालन नहीं किया है।

(7) राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी को साधारण प्रकृति के ऐसे लिखित निदेश दे सकेगी जैसे वह सरकार इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान या नवीकरण से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में आवश्यक समझे।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन यह है कि सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का अनुदान या नवीकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकेगा जैसे वह अवधारित करे और जहां कि सक्षम प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने से इन्कार करे वहां वह ऐसे इंकार के लिए लिखित कारण देते हुए आवेदक को संसूचित आदेश द्वारा ऐसा करेगा।

**5. अपीलें**—सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने वाले विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को जैसा राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील बीस रुपए से अनधिक ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने वाले किसी भी आदेश को आदेश द्वारा पुष्ट कर सकेगा, उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

**6. निरीक्षक**—(1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने आफिसरों में से उन्हें या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आफिसरों में से जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उनको ऐसी स्थानीय सीमाएं जैसी वह ठीक समझे, समनुदिष्ट कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जो राज्य में सर्वत्र निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) हर मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोकसेवक समझा जाएगा।

**7. निरीक्षकों की शक्तियां**—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन यह है कि निरीक्षक उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है—

(क) ऐसी परीक्षा कर सकेगा और जांच कर सकेगा, जैसी यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि क्या किसी स्थान या परिसर में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है या किया जा रहा है ;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति उसको अपराध में फंसाने की हो ;

(ख) किसी भी विहित रजिस्टर को और बीडी या सिगार या दोनों बनाने से सम्बन्धित किसी भी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी भी स्थान या परिसर में, जिसके अन्तर्गत नियोजकों के निवास-स्थान आते हैं, सभी समयों पर ऐसे सहायकों के साथ, जैसे वह ठीक समझे, प्रवेश कर सकेगा, यदि उसके पास यह सन्देह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि कोई विनिर्माण-प्रक्रिया किसी ऐसे स्थान या परिसर में की जा रही है या मामूली तौर पर की जाती है ;

(घ) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाएं।

(2) यदि निरीक्षक के पास यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि कोई विनिर्माण-प्रक्रिया किसी स्थापन में इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में की जा रही है, तो वह नियोजक को, या नियोजक की अनुपस्थिति में अधिभोगी को, सम्यक् सूचना देने के पश्चात् ऐसे स्थापन में, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जैसे वह ठीक समझे, प्रवेश कर सकेगा।

(3) हर नियोजक या अधिभोगी, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

17क. निरीक्षक किसी शिकायत, आदि के स्रोत को प्रकट नहीं करेगा—(1) निरीक्षक इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन की बाबत उसे की गई किसी शिकायत का स्रोत प्रकट नहीं करेगा।

(2) निरीक्षक, उसे प्राप्त शिकायत के अनुसरण में इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण करते समय संबंधित नियोजक या संविदाकार या उसके किसी प्रतिनिधि को यह प्रकट नहीं करेगा कि निरीक्षण किसी शिकायत के अनुसरण में किया जा रहा है :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे मामले को लागू नहीं होगी जिसमें शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम प्रकट करने के लिए सहमति दे दी है।

8. स्वच्छता—हर औद्योगिक परिसर स्वच्छ तथा किसी नाली, पाखाने या अन्य न्यूसेन्स से उद्भूत होने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखा जाएगा और स्वच्छता का, जिसके अन्तर्गत सफेदी, रंगाई, वार्निश या पेंट करना आता है, ऐसा स्तर भी बनाए रखेगा जैसा विहित दिया जाए।

9. संवातन—(1) हर औद्योगिक परिसर उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की क्षति का निवारण करने के प्रयोजन के लिस प्रकाश, संवातन और तापमान के ऐसे स्तर बनाए रखेगा जैसे विहित किए जाएं।

(2) जहां कहीं भी धूल, धूम या अन्य अशुद्धता, जो ऐसी प्रकृति की और इतनी मात्रा में हो जिसका किसी औद्योगिक परिसर में नियोजित व्यक्तियों को क्षतिकर या संतापकारी होना संभाव्य हो, ऐसे परिसर में की गई विनिर्माण-प्रक्रिया के कारण उठती है, वहां सक्षम प्राधिकारी से ऐसे प्रभावी उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जो ऐसी धूल, धूम या अन्य अशुद्धता के अभिश्वसन और काम करने के किसी कमरे में उसके संचयन का निवारण कर सकें।

10. अतिभीड़—(1) किसी भी औद्योगिक परिसर में के किसी भी कमरे में इतनी भीड़ नहीं होगी, जो उसमें नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर हो।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे परिसर के काम करने के किसी भी कमरे उसमें नियोजित हर व्यक्ति के लिए कम से कम सवा चार घन मीटर स्थान रहेगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी स्थान को नहीं गिना जाएगा जो काम करने के कमरे के फर्श की सतह से तीन मीटर से अधिक ऊपर है।

11. पीने का पानी—(1) नियोजक हर औद्योगिक परिसर में, उसमें नियोजित सब व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित यथोचित स्थानों पर पीने के स्वास्थ्यप्रद पानी के पर्याप्त प्रदाय का उपबन्ध करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी इंतजाम करेगा।

(2) ऐसे सब स्थान औद्योगिक परिसर में नियोजित व्यक्तियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पढ़े जाने योग्य अक्षरों में “पीने का पानी” पद से अंकित किए जाएंगे, और ऐसा कोई स्थान किसी धोने के स्थान मूत्रालय या शौचालय से छह मीटर के भीतर, सक्षम प्राधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, स्थित नहीं होगा।

12. शौचालय और मूत्रालय—(1) हर औद्योगिक परिसर में ऐसे प्रकार के, जैसे विहित किए जाएं, पर्याप्त मूत्रालय और शौचालय उपबन्धित किए जाएंगे और ऐसे सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे कि वे कर्मचारियों की, जब वे औद्योगिक परिसर में हों, सब समयों पर पहुंच में हों :

परन्तु उन औद्योगिक परिसरों में, जहां पचास से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा जहां शौचालय जलवाहित मल-प्रणाली से संसक्त है, पृथक् मूत्रालयों का उपबन्ध करना आवश्यक नहीं देगा।

(2) राज्य सरकार उन शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो किसी औद्योगिक परिसर में उसमें मामूली तौर पर नियोजित पुरुष और स्त्री कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उपबन्धित किए जाएंगे और औद्योगिक परिसर में स्वच्छता के बारे में ऐसे अतिरिक्त विषयों के लिए, जिनके अन्तर्गत इस बाबत कर्मचारियों की बाध्यता आती है, उपबन्ध कर सकेगी, जैसे वह उसमें नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य के हित में आवश्यक समझे।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।

**13. धोने की सुविधाएं**— हर औद्योगिक परिसर में, जिसमें तम्बाकू का सम्मिश्रण या चालना या दोनों होते हैं अथवा तप्त भट्टियों में बीड़ी को गरम किया जाता है, नियोजक कर्मचारियों में उपयोग के लिए ऐसी धोने की सुविधाएं उपबन्धित करेगा जैसी विहित की जाएं।

**14. शिशु-कक्ष**—(1) हर औद्योगिक परिसर में, जहां [तीस] से अधिक स्त्री कर्मचारी मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, वहां ऐसे स्त्री कर्मचारियों के छह साल से नीचे की आयु वाले बालकों के उपयोग के लिए यथोचित कमरा या कमरे उपबन्धित किए जाएंगे और बनाए रखे जाएंगे।

(2) ऐसे कमरे—

(क) पर्याप्त आवास का उपबन्ध करेंगे ;

(ख) पर्याप्त प्रकाश और संवातन से युक्त होंगे ;

(ग) सफाई और स्वच्छता की हालत में बनाए रखे जाएंगे ; तथा

(घ) बालकों और बच्चों की देखरेख करने में प्रशिक्षित स्त्रियों के भारसाधन के अधीन होंगे।

(3) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) इस धारा के अधीन उपबन्धित किए जाने वाले कमरों की अवस्थिति और उनके सन्निर्माण, आवास, फर्नीचर, और अन्य उपस्कर के बारे में स्तरों को विहित करना ;

(ख) किसी ऐसे औद्योगिक परिसर में, जिसको यह धारा लागू होती है, स्त्री कर्मचारियों के बालकों की देखरेख के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत उनके कपड़ों को धोने और बदलने के लिए सुविधाओं का यथोचित उपबन्ध आता है, करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी भी औद्योगिक परिसर में ऐसे बालकों के लिए मुफ्त दूध या नाश्ता या दोनों का उपबन्ध अपेक्षित करना ;

(घ) यह अपेक्षा करना कि किसी भी औद्योगिक परिसर में ऐसे बालकों की माताओं को उनको आवश्यक अन्तरालों पर खिलाने-पिलाने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।

**15. प्राथमिक उपचार**—हर औद्योगिक परिसर प्राथमिक उपचार की ऐसी सुविधाएं उपबन्धित करेगा जैसी विहित की जाएं।

**16. कैटीन**—राज्य सरकार, नियमों द्वारा, नियोजक से हर औद्योगिक परिसर में, जिसमें मामूली तौर पर दो सौ पचास से अन्यून कर्मचारी नियोजित किए जाते हैं, कर्मचारियों के उपयोग के लिए एक कैटीन उपबन्धित करने और बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

**17. काम के घंटे**—किसी भी औद्योगिक परिसर में किसी भी दिन में नौ घंटे से अधिक या किसी भी सप्ताह से अड़तालीस घंटे से अधिक काम किसी भी कर्मचारी से न तो अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा :

परन्तु किसी भी वयस्थ कर्मचारी को इस धारा के अधीन नियत परिसीमा से अधिक किसी भी कालावधि के लिए काम अतिकालिक मजदूरी के संदाय की शर्त के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे औद्योगिक परिसर में करने दिया जा सकेगा, यदि काम के, जिसके अंतर्गत अतिकालिक काम आता है, कालावधि किसी भी दिन में दस घंटों से, और किसी भी सप्ताह में कुल मिलाकर चौवन घंटों से अधिक न होती हो।

**18. अतिकालिक काम के लिए मजदूरी**—(1) जहां कि किसी भी औद्योगिक परिसर में नियोजित कोई भी कर्मचारी अतिकालिक काम करने को अपेक्षित किया जाए, वहां वह ऐसे अतिकालिक काम की बाबत, अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगुनी मजदूरी का हकदार होगा।

(2) जहां कि किसी औद्योगिक परिसर में कर्मचारियों को मात्रानुपाती दर के आधार पर संदाय किया जाता है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए अतिकालिक दर उन समयानुपाती दरों पर गिनी जाएगी, जो उन दिनों के लिए उनके पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के यथासंभव बराबर होगी, जिनको उन्होंने उस सप्ताह के, जिसमें अतिकालिक काम किया गया है, अव्यवहितपूर्ण के सप्ताह के दौरान वास्तव में काम किया था।

**स्पष्टीकरण**—जहां किसी कर्मचारी ने उस सप्ताह के, जिसमें अतिकालिक काम किया गया है, अव्यवहित पूर्व के सप्ताह के किसी दिन काम नहीं किया है, वहां ऐसे सप्ताह के, जिसमें उसने वास्तव में काम किया था, पूर्व के किसी सप्ताह को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अतिकालिक दर की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा।]

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (22-5-1993 से) "पचास" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 5 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए मजदूरी की “मामूली दर” से अभिप्रेत है मूल मजदूरी और ऐसा भत्ता जिसका कर्मचारी तत्समय हकदार हो, और भत्ते के अंतर्गत कर्मचारियों को अनाज और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत होने वाले फायदे का नकद समतुल्य आता है, किन्तु बोनस नहीं आता है।

(4) कर्मचारियों को अनाज और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य इतनी बार, जितनी बार गिना जाना विहित किया जाए, मानक कुटुम्ब को अनुज्ञेय अनाज और अन्य वस्तुओं की अधिकतम मात्रा के आधार पर गिना जाएगा।

**स्पष्टीकरण 1**—“मानक कुटुम्ब” से ऐसा कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो कर्मचारी, उसका पति या पत्नी और दो बालकों से मिलकर बना है, और जो कुल मिलाकर तीन वयस्थ उपभोग इकाइयों की अपेक्षा रखता है।

**स्पष्टीकरण 2**—“वयस्थ उपभोग इकाई” से चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के पुरुष की उपभोग इकाई अभिप्रेत है तथा चौदह वर्ष की आयु से ऊपर की स्त्री की उपभोग इकाई और बालक की उपभोग इकाई एक वयस्थ उपभोग इकाई के क्रमशः आठ बटे दस और छह बटे दस के हिसाब से गिनी जाएगी।

**19. विश्राम-अन्तराल**—औद्योगिक परिसर में हर एक दिन कर्मचारियों के लिए काम की कालावधियां ऐसे नियत की जाएंगी कि कोई भी कालावधि पांच घंटे से अधिक की न हो और कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे का विश्राम-अन्तराल ले चुकने के पूर्व पांच घंटे से अधिक काम न करे।

**20. विस्तृति**—औद्योगिक परिसर में कर्मचारी के काम की कालावधियां ऐसे व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 19 के अधीन के उसके विश्राम-अन्तरालों के सहित वे किसी भी दिन में साढ़े दस घंटे से अधिक विस्तृत न हों :

परन्तु मुख्य निरीक्षक, उन कारणों से जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, विस्तृति को बारह घंटों तक बढ़ा सकेगा।

**21. साप्ताहिक छुट्टियां**—(1) हर औद्योगिक परिसर बीड़ी या तम्बाकू की पत्तियों को भिगोने के लिए खुलने के सिवाय सप्ताह में एक दिन के लिए बिल्कुल बन्द रहेगा, जो दिन नियोजक द्वारा औद्योगिक परिसर में सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे विनिर्दिष्ट किया गया दिन नियोजक द्वारा तीन मास में एक से अधिक बार और मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

1। परन्तु ऐसी प्रत्येक सूचना की एक प्रति उस निरीक्षक को, जिसकी अधिकारिता ऐसे औद्योगिक परिसर पर है, उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर भेजी जाएगी जिसको ऐसी सूचना औद्योगिक परिसर में प्रदर्शित की जाती है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिस दिन उक्त परिसर उपधारा (1) के अनुसरण में बन्द रहे उस दिन उसमें बीड़ी या तम्बाकू की पत्तियों को भिगोने के लिए नियोजित कर्मचारी को उक्त दिन से अव्यवहित पूर्व या पश्चात् के तीन दिनों में से एक दिन की प्रतिस्थापित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी छुट्टी के लिए कर्मचारी को, किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, ऐसी दर पर संदाय किया जाएगा जो उन दिनों के लिए उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के बराबर हो जिनको उसने छुट्टी से अव्यवहितपूर्व के सप्ताह के दौरान काम किया था। इन उपार्जनों के अन्तर्गत कोई अतिकालिक उपार्जन और बोनस नहीं आएंगे, किन्तु महंगाई और अन्य भत्ते आएंगे।

**स्पष्टीकरण**—“कुल पूर्णकालिक उपार्जनों” पद का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 27 में समनुदिष्ट है।

**22. काम की कालावधियों की सूचना**—(1) हर औद्योगिक परिसर में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, काम की कालावधियों की ऐसी सूचना संप्रदर्शित की जाएगी और सही रखी जाएगी, जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां स्पष्ट तौर पर दर्शित की गई हों जिनके दौरान कर्मचारियों से काम करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(2) (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना की तीन प्रतियां औद्योगिक परिसर पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को, किसी ऐसे औद्योगिक परिसर की दशा में जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय काम चल रहा हो, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के सर्वप्रथम अनुदान की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, और किसी ऐसे औद्योगिक परिसर की दशा में जिसमें ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् काम आरम्भ किया जाए उस दिन से पूर्व, जिसको उस औद्योगिक परिसर में काम आरम्भ किया जाए, भेजी जाएगी।

(ख) काम की पद्धति में प्रस्थापित कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में परिवर्तन आवश्यक हो जाए उस परिवर्तन के किए जाने से पहले तीन प्रतियों में निरीक्षक को अधिसूचित किया जाएगा और निरीक्षक की पूर्व मंजूरी से किए जाने के सिवाय ऐसा कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अन्तिम परिवर्तन से एक सप्ताह व्यतीत न हो गया हो।

**23. काम के घंटों का धारा 22 के अधीन सूचना के अनुरूप होना**—कोई भी कर्मचारी किसी भी औद्योगिक परिसर में धारा 22 के अधीन उस परिसर में संप्रदर्शित काम की सूचना के अनुसार नियोजित किए जाने से अन्यथा नियोजित नहीं किया जाएगा।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 6 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।

**24. बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**—किसी भी औद्योगिक परिसर में काम किसी भी बालक से न तो अपेक्षित किया जाएगा न उसे करने दिया जाएगा।

**25. कतिपय घंटों के दौरान स्त्री या अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध**—किसी भी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी भी औद्योगिक परिसर में छह बजे पूर्वाह्न और सात बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करे और न उसे ऐसे काम करने दिया जाएगा।

**26. मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी**—(1) स्थापन में हर कर्मचारी को एक कलेण्डर वर्ष में मजदूरी सहित छुट्टी—

(i) वयस्थ की दशा में, पूर्वतन कलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर बीस दिन पर एक दिन की दर से,

(ii) अल्पवय व्यक्ति की दशा में पूर्वतन कलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर पन्द्रह दिन पर एक दिन की दर से,

अनुज्ञात की जाएगी।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी के अन्तर्गत कोई भी अवकाश दिन नहीं आता है, चाहे वह छुट्टी की कालावधि के दौरान या आरम्भ में या अन्त में आए।

(2) यदि कोई कर्मचारी वर्ष के दौरान सेवा से उन्मोचित या पदच्युत किया जाए, या नियोजन छोड़ दे, तो वह उपधारा (1) में अधिकथित दर से मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा।

(3) इस धारा के अधीन छुट्टी की गणना करने में छुट्टी के आधे दिन या उससे अधिक का कोई भिन्न एक पूरे दिन की छुट्टी माना जाएगा और आधे दिन से कम का कोई भिन्न छोड़ दिया जाएगा।

(4) यदि कोई कर्मचारी किसी कलेण्डर वर्ष में उपधारा (2) के अधीन उसको अनुज्ञात सम्पूर्ण छुट्टी न ले, तो उसके द्वारा न ली गई छुट्टी अगले कलेण्डर वर्ष में उसे अनुज्ञेय छुट्टी में जोड़ दी जाएगी।

परन्तु जिस छुट्टी का अग्रनयन अगले वर्ष को किया जा सकेगा उसके दिनों की कुल संख्या वयस्थ की दशा में तीस से, अथवा अल्पवय व्यक्ति की दशा में चालीस से, अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात सम्पूर्ण छुट्टी या उसके किसी प्रभाग के लिए कर्मचारी का आवेदन लिखित होगा और मामूली तौर पर उस दिन के काफी समय पहले किया जाएगा जिसको वह अपनी छुट्टी आरम्भ करना चाहता है।

(6) यदि ऐसे कर्मचारी का नियोजन, जो उपधारा (1) के अधीन छुट्टी का हकदार है, उसके वह समस्त छुट्टी, जिसका वह हकदार है, लेने से पूर्व नियोजक द्वारा पर्यवसित कर दिया जाता है अथवा यदि छुट्टी के लिए आवेदन किए जाने पर उसको ऐसी छुट्टी अनुदत्त नहीं की गई है अथवा यदि कर्मचारी छुट्टी लेने से पहले अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोजक उसको न ली हुई छुट्टी की बाबत धारा 27 के अधीन संदेय रकम संदत्त करेगा और ऐसा संदाय, जहां कि कर्मचारी का नियोजन नियोजक द्वारा पर्यवसित किया जाता है वहां ऐसे पर्यवसान के पश्चात् द्वितीय कार्य-दिवस के अवसान के पूर्व और जहां कि कर्मचारी अपना नियोजन छोड़ देता है वहां अगले वेतन-दिवस को या उससे पूर्व किया जाएगा।

(7) कर्मचारी द्वारा अनुपभुक्त छुट्टी उन्मोचन या पदच्युति से पहले दिए जाने को अपेक्षित किसी भी सूचना की कालावधि की संगणना करने में विचार में नहीं ली जाएगी।

**27. छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी**—(1) कर्मचारी को धारा 26 के अधीन उसको अनुज्ञात छुट्टी के लिए उस दर से संदाय किया जाएगा, जो उन दिनों के लिए उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के बराबर हो जिनको उसने अपनी छुट्टी से अव्यवहितपूर्व के मास के दौरान काम किया था। इन उपार्जनों के अन्तर्गत कोई अतिकालिक उपार्जन और बोनस नहीं आएंगे, किन्तु महंगाई और अन्य भत्ते आएंगे।

**स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा में, “कुल पूर्णकालिक उपार्जनों” पद के अन्तर्गत कर्मचारी को अनाज और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से, जिसका कर्मचारी तत्समय हकदार हो, प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य आता है, किन्तु बोनस नहीं आता।

**स्पष्टीकरण 2**—छुट्टी की कालावधि के दौरान गृह-कर्मकार को संदेय मजदूरी अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, या स्त्री गृह-कर्मकार को प्रसूति-प्रसुविधाओं का संदाय करने के प्रयोजन के लिए “दिन” से कोई ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके दौरान ऐसा गृह-कर्मकार मध्य-रात्रि को आरम्भ होने वाली चौबीस घंटों की कालावधि के दौरान बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए नियोजित रहा था।

(2) उस कर्मचारी को जिसे वयस्थ की दशा में चार से अन्यून दिनों के लिए और अल्पवय व्यक्ति की दशा में पांच से अन्यून दिनों के लिए छुट्टी अनुज्ञात की गई हो, अनुज्ञात छुट्टी की कालावधि के लिए शोध्य मजदूरी का संदाय उसकी छुट्टी आरम्भ होने से पूर्व कर दिया जाएगा।

**28. औद्योगिक परिसरों को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का लागू होना—**(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) में (जिसे इस धारा में एत्स्मिनपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई भी उपबन्ध ऐसे स्थान या स्थापनों के वर्ग में के, जिनको यह अधिनियम लागू होता है, सभी कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग को लागू होंगे तथा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के ऐसे लागू होने पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निरीक्षक समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी भी अधिसूचना को ऐसी ही अधिसूचना द्वारा रद्द कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी।

**29. विशेष उपबन्ध—**(1) राज्य सरकार औद्योगिक परिसर से बाहर कर्मचारियों द्वारा बीड़ी या तम्बाकू की पत्तियों के भिगोए या काटे जाने की अनुज्ञा ऐसे कर्मचारियों की ओर से नियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर दे सकेगी।

(2) नियोजक औद्योगिक परिसर से बाहर किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात काम का अभिलेख विहित प्ररूप में रखेगा।

(3) उसके सिवाय जैसा इस धारा में अन्यथा उपबन्धित है, कोई भी नियोजक बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने से संसक्त किसी भी विनिर्माण-प्रक्रिया का औद्योगिक परिसर से बाहर किया जाना न तो अपेक्षित करेगा, न ऐसा किया जाने देगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी भी ऐसे श्रमिक को लागू नहीं होगी, जिसको नियोजक या संविदाकार द्वारा कच्चा माल घर पर बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए दिया जाता है।

**30. आयु के बारे में सबूत का भार—**(1) जबकि कोई कार्य या लोप इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध होता, यदि कोई व्यक्ति किसी आयु से कम का होता, और ऐसा व्यक्ति न्यायालय की राय में प्रथमदृष्ट्या ऐसी आयु के कम का हो तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है।

(2) किसी ऐसे चिकित्सक आफिसर द्वारा, जो सहायक सिविल सर्जन की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो, कर्मचारी के सम्बन्ध में यह लिखित घोषणा की उसने स्वयं उसकी परीक्षा की है और उसके बारे में वह यह विश्वास करता है कि वह ऐसी घोषणा में कथित की गई आयु से कम का है, इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए उस कर्मचारी की आयु के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

**31. पदच्युति की सूचना—**(1) कोई भी नियोजक ऐसे कर्मचारी को, जो छह मास या उससे अधिक की कालावधि के लिए नियोजित रहा हो, युक्तियुक्त हेतुक के बिना और ऐसे कर्मचारी को कम से कम एक मास की सूचना या ऐसी सूचना के बजाय मजदूरी दिए बिना, सेवा से अभिमुक्त नहीं करेगा :

परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी को नियोजक द्वारा उस प्रयोजन के लिए की गई जांच में अभिलिखित समाधानप्रद साक्ष्य पर आधारित अवचार के आरोप पर सेवा से अभिमुक्त किया गया है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(2) (क) ऐसा कर्मचारी जिसका उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी की गई है, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे समय के भीतर, जैसे विहित किए जाएं, अपील, या तो इस आधार पर कि उसको सेवा से अभिमुक्त करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त हेतुक नहीं था या इस आधार पर कि नियोजक द्वारा ठहराए गए अवचार का वह दोषी नहीं था या इस आधार पर कि उन्मोचन या पदच्युति का ऐसा दण्ड कठोर था, कर सकेगा।

(ख) नियोजक और कर्मचारी को विहित रीति में सूचना देने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपील को खारिज का सकेगा या ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान वह नियोजन से बाहर रखा गया था, उस कर्मचारी के मजदूरी सहित या रहित पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या पुनःस्थापन के बिना प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा या अन्य ऐसा अनुतोष अनुदत्त कर सकेगा जैसा वह मामले की परिस्थिति में ठीक समझे।

1[(2क) अपील प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ; और

(ख) दस्तावेजों और तात्त्विक सामग्री को पेश करने के लिए बाध्य करना।]

(3) अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उसे उस समय के भीतर क्रियान्वित किया जाएगा जितना अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

**32. निरीक्षक को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति—**जो कोई मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में बाधा डालेगा या मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर इस अधिनियम या तद्धीन

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 7 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।



बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अनुसरण में उसकी अभिरक्षा में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने में असफल रहेगा या किसी औद्योगिक परिसर में के किसी कर्मचारी को मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या निवारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1[छह मास] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1[पांच हजार रुपए] तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**33. अपराध के लिए साधारण शास्ति—**(1) उसके सिवाय जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित है, कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, या धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पारित अपील प्राधिकारी के किसी आदेश के अनुसार मजदूरी या प्रतिकर देने में असफल रहेगा, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या किसी भी पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की और छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए से कम का और पांच सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) (क) कोई भी नियोजक, जो धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पारित अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुसार किसी कर्मचारी को पुनःस्थापित करने में असफल रहेगा, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(ख) कोई भी नियोजक, जो खण्ड (क) के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उक्त खण्ड में वर्णित आदेश के अनुसार कर्मचारी को पुनःस्थापित करने में ऐसी दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् असफल बना रहेगा, ऐसे व्यतिक्रम के हर एक दिन के लिए जुर्माने से, जो बीस रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(ग) इस उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय निदेश दे सकेगा कि सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग, यदि वसूल किया जाए, तो उस व्यक्ति को प्रतिकर के तौर पर संदत्त किया जाएगा जिसको उसकी राय में ऐसी असफलता द्वारा क्षति हुई है।

(3) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) में मजदूरी की परिभाषा की बाबत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियोजक द्वारा दिए जाने को अपेक्षित किन्तु उसके द्वारा असंदत्त कोई भी प्रतिकर उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विलंबित मजदूरी के तौर पर वसूलीय होगा।

(4) धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन में यह प्रतिवाद नहीं होगा कि बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने से संसक्त कोई विनिर्माण-प्रक्रिया स्वयं ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले या आश्रित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी।

**34. कम्पनियों द्वारा अपराध—**(1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**35. परित्राण—**(1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 8 द्वारा (22-5-1993 से) अंतःस्थापित।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या होने संभाव्य किसी भी नुकसान के लिए सरकार के विरुद्ध न होगी।

**36. अपराधों का संज्ञान—**(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक के द्वारा या उसकी पूर्वतन लिखित मंजूरी से, उस तारीख से जिस तारीख को अपराध का किया जाना निरीक्षक के ज्ञान में आया, तीन मास के भीतर किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा :

परन्तु जहां कि अपराध सक्षम प्राधिकारी, मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक द्वारा किए गए लिखित आदेश की अवज्ञा करता हो, वहां उसका परिवाद उस तारीख से जब कि अपराध का किया जाना अभिकथित हो, छह मास के अन्दर किया जा सकेगा।

(2) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

**37. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और प्रसूति-प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का लागू होना—**(1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के उपबन्ध हर ऐसे औद्योगिक परिसर को जिसमें पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती मासों में किसी भी एक दिन नियोजित थे, ऐसे लागू होंगे, मानो ऐसा औद्योगिक परिसर ऐसा औद्योगिक स्थान था, जिसको वह अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और मानो उक्त परिसर में का कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ के अन्दर कर्मकार था।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के सभी या कोई भी उपबन्ध किसी भी ऐसे औद्योगिक परिसर को, जिसमें पचास से कम कर्मचारी नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी एक दिन नियोजित थे, ऐसे लागू कर सकेगी, मानो ऐसा औद्योगिक परिसर ऐसा औद्योगिक स्थापन था, जिसको वह अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और मानो उक्त परिसर में का कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ के अन्दर कर्मकार था।

(3) प्रसूति-प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 33) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के उपबन्ध हर स्थापन को ऐसे लागू होंगे, मानो ऐसा स्थापन ऐसा स्थापन हो जिसको वह अधिनियम उसकी धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है :

परन्तु उक्त अधिनियम गृह-कर्मकार को निम्नलिखित उपान्तरों के अध्येधीन लागू होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 में की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में “या प्रतिदिन एक रुपया, जो भी अधिक हो” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ; तथा

(ख) धाराओं 8 और 10 का लोप कर दिया जाएगा।

**38. कतिपय उपबन्धों का औद्योगिक परिसर को लागू न होना—**(1) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 62) का अध्याय 4 और धारा 85 औद्योगिक परिसर को लागू होंगे और उस अधिनियम के शेष उपबन्ध किसी भी औद्योगिक परिसर को लागू नहीं होंगे।

(2) दुकानों या वाणिज्यिक स्थापनों में कर्मकारों के काम की परिस्थितियों के विनियमन से सम्बन्धित किसी विधि में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे स्थापन को लागू नहीं होगी जिसको यह अधिनियम लागू होता है।

**39. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का लागू होना—**(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबन्ध हर औद्योगिक परिसर की बाबत उद्भूत होने वाले विषयों को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) नियोजक द्वारा कर्मचारियों को कच्चा माल दिए जाने से ;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा बनाई हुई बीड़ी या सिगार या दोनों का नियोजक द्वारा प्रतिक्षेपण किए जाने से ;

(ग) नियोजक द्वारा प्रतिक्षिप्त बीड़ी या सिगार या दोनों के लिए मजदूरी के संदाय से,

सम्बन्धित विवाद, जो नियोजक या कर्मचारी के बीच हो, [परिनिर्धारण के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे नियमों में उस संक्षिप्त रीति का भी उपबन्ध किया जा सकेगा जिससे ऐसा विवाद परिनिर्धारित किया जाएगा।]

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 9 द्वारा (22-5-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए परिनिर्धारण से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे समय के भीतर, जैसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**40. इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव—**(1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् किए गए किसी भी अधिनिर्णय, करार, या सेवा की संविदा के निबन्धनों में उनसे असंगत किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कि किसी ऐसे अधिनिर्णय, करार, या सेवा की संविदा के अधीन या अन्यथा कोई कर्मचारी किन्हीं भी विषयों के बारे में ऐसी प्रसुविधाओं का हकदार हो, जो उसको उनसे अधिक अनुकूल हों जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, वहां कर्मचारी उस विषय की बाबत उन अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं का हकदार इस बात के होते हुए भी बना रहेगा कि वह अन्य विषयों की बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाओं प्राप्त करता है।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को, नियोजक से किसी विषय की बाबत उसको ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार अनुदत्त करने के लिए, जो उसको उनसे अधिक अनुकूल हों, जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, कोई करार करने से प्रवारित करती हैं।

**41. छूट देने की शक्ति—**राज्य सरकार औद्योगिक परिसरों के किसी भी वर्ग को या नियोजकों या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के सब उपबन्धों से या उनमें से किसी से, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन छूट, जैसे वह अधिरोपित करे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दे सकेगी :

परन्तु इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्य सरकार को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वह किसी स्त्री कर्मचारी को मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी, प्रसूति-प्रसुविधाओं, शिशु-कक्षों, मजदूरी, बीड़ी या सिगार का प्रतिक्षेपण और रात्रि में काम से सम्बन्धित इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों में से किसी से कोई छूट अनुदत्त करे।

**42. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्तियां—**केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन करने के बारे में राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी।

**43. प्राइवेट निवास-गृहों में स्वयं नियोजित व्यक्तियों को अधिनियम का लागू न होना—**इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात प्राइवेट निवास-गृह के ऐसे स्वामी या अधिभोगी को लागू नहीं होगी, जो ऐसे प्राइवेट निवास-गृह में कोई विनिर्माण-प्रक्रिया ऐसे निवास-गृह में अपने साथ रहने वाले और अपने पर आश्रित अपने कुटुम्ब के सदस्यों की सहायता से करता है :

परन्तु यह तब जब कि उसका स्वामी या अधिभोगी ऐसे नियोजक का कर्मचारी न हो जिसको यह अधिनियम लागू होता है।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कुटुम्ब” से स्वामी या अधिभोगी का पति या पत्नी और उसके बालक अभिप्रेत हैं।

**44. नियम बनाने की शक्ति—**(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेगी और वे फीसों जो ऐसी अनुज्ञप्ति की बाबत संदत्त की जानी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और वे दस्तावेजों और रेखांक जो ऐसे आवेदन के साथ निवेदित किए जाने हैं ;

(ग) वे अन्य विषय जिन्हें अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उससे इन्कार करने के लिए विचार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है ;

(घ) वह समय जिसके भीतर और वे फीसों जिनके संदाय पर और वह प्राधिकारी जिसको अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या अनुदत्त करने से इन्कार करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपीलें की जा सकेंगी ;

(ङ) नियोजक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को मासिक विवरणी का निवेदन जिसमें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा निर्मोचित तम्बाकू की मात्रा और नियोजक द्वारा बनाई गई बीड़ी या सिगार या दोनों की संख्या विनिर्दिष्ट हो ;

(च) वे शक्तियां जो इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों को प्रदत्त की जा सकेंगी ;

(छ) सफाई के वे स्तरमान जो इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं ;

(ज) प्रकाश, संवातन और तापमान के वे स्तरमान जो इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं ;

(झ) मूत्रालयों और शौचालयों के वे प्रकार जो इस अधिनियम के अनुसार उपबन्धित किए जाने को अपेक्षित हैं ;

(ञ) धोने की वे सुविधाएं जो इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित की जानी हैं ;

(ट) कैटीन ;

(ठ) काम की कालावधियों की सूचना का प्ररूप और रीति ;

(ड) वह प्ररूप जिसमें किसी स्थापन के बाहर किए गए काम के अभिलेख रखे जाएंगे ;

(ढ) वह प्राधिकारी जिसको और वह समय जिसके भीतर पदच्युत, उन्मोचित या छंटनीकृत कर्मचारी द्वारा अपील फाइल की जा सकेगी ;

(ण) वह रीति जिससे किसी कर्मचारी को अनाज और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे के नकद समतुल्य की गणना की जाएगी ;

(त) वे अभिलेख और रजिस्टर जो इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्थापन में रखे जाएंगे ;

(थ) प्राथमिक उपचार बक्स या कबर्ड और उनकी अन्तर्वस्तुएं बनाए रखना तथा वे व्यक्ति जिनके भारसाधन में ऐसे बक्से रखे जाएंगे ;

(द) वह रीति जिससे बीड़ी या सिगार या दोनों की छंटाई या प्रतिक्षेपण और प्रतिक्षिप्त बीड़ी या सिगार या दोनों का व्ययन किया जाएगा ;

(ध) कर्मचारी द्वारा बनाई गई बीड़ी या सिगार या दोनों के प्रतिक्षेपण की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा नियत करना ;

(न) उन स्थानों का विनिर्दिष्ट किया जाना जिन पर उन व्यक्तियों का मजदूरी संदत्त की जाएगी जो घर पर बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए कच्चा माल सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त करते हैं ;

(प) कर्मचारियों को कच्चे माल के, जिसके अन्तर्गत बीड़ी और तम्बाकू की पत्तियां आती हैं, वितरण का निरीक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण ;

(फ) वे पूर्वावधानियां जो अग्नि से कर्मचारों की सुरक्षा के लिए बरती जानी हैं ;

(ब) [वह समय जिसके भीतर धारा 39 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई विवाद परिनिर्धारण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वह संक्षिप्त रीति जिससे ऐसा विवाद परिनिर्धारित किया जाएगा] और वह प्राधिकारी जिसको प्रथम वर्णित प्राधिकारी द्वारा किए गए परिनिर्धारण से अपील होगी ;

(भ) कोई भी विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे ; तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख उस तारीख से तीन मास से कम की न होगी जिसको प्रस्थापित नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, जहां कि राज्य विधान-मंडल दो सदनों वाला हो वहां उसके हर एक सदन के समक्ष, या जहां कि ऐसा विधान-मंडल एक सदन वाला हो वहां उस सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व विधान-मंडल उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या विधान-मंडल सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

<sup>1</sup> 1993 के अधिनियम सं० 41 की धारा 10 द्वारा (22-5-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।